प्रस्तुत हों। [signature]

16 4/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा पेश अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार कि. रेनवाल अनुपस्थित। राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कि. रेनवाल इस वाद में एक औपचारिक पक्षकार है व पूर्व में अपना जवाब पेश कर चुके हैं। इसलिए एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन करने व मनन उपरांत यह वाद वादी के पक्ष में फैसल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर पत्रावली को फैसल शुमार किया जाता है। सूचना [illegible] व आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार, कि. रेनवाल को तहरीर जारी हो। यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

1

न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी — जयन्त कुमार R.A.S. — दायर तारीख :- 22.01.2019

राजस्व वाद संख्या :- 7/ 2019

1. श्रीमती सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी डींसा तहसील फुलेरा हाल तहसील किO रेनवाल जिला जयपुर राज0 — वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किOरेनवाल जिला जयपुर — प्रतिवादी

वाद बाबत दुरुस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी

उपस्थित :- श्री गिरधारीलाल बेगल्या, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 16.04.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीया की फर्जी काश्त व खातेदारी की आराजीयात खाता सं0 119 की आराजी ख0न0 224 / 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वार्ड ग्राम डींसा प0ह0 रलावता भू0अ0नि0वृ0 बधाल तहसील किOरेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चला आ रहा है यानी वादीया उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की भूमि की रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीया के सम्पूर्ण रिकोर्ड यानी की आधारकार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र व वृद्धावस्था पेंशन, परिवार राशनकार्ड, बैंक पासबुक एवं बैंक रिकोर्ड, सरकारी जॉब कार्ड सभी में वादीया का नाम सजन कंवर दर्ज चला आ रहा है वादीया ग्रामीण परिवेश की महिला व अनपढ महिला व पर्दानशीन महिला होने के कारण उसका गांव में आम प्रचलित भाषा में सजन कंवर को गोविन्ददेवी के नाम से भी पुकारा जाता था जबकि सभी रिकोर्ड में वादीया का नाम गोविन्ददेवी के बजाय सजन कंवर नाम चला आ रहा है एवं वादीया अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों में व सभी कार्यों में अपना नाम सजन कंवर ही दर्ज करवा रखा है जबकि घर पर ग्रामीण परिवेश में लाड प्यार से वादीया सजन कंवर को गोविन्ददेवी कहते थे इस प्रकार से वादीया सजन कंवर व गोविन्ददेवी एक ही महिला है व वादीया को ही गोविन्ददेवी के नाम से पुकारा जाता था। जिसकी वजह से राजस्व रिकोर्ड में वादीया एक ग्रामीण महिला होने के कारण व पर्दानशीन महिला होने के कारण घर पर प्रचलित लाड प्यार का नाम गोविन्ददेवी ही दर्ज हो गया जबकि रिकोर्डेड व वास्तविक नाम वादीया का सजन कंवर है। वादीया के समस्त दस्तावेजों में सजन कंवर नाम दर्ज होने के कारण तथा अन्य खातेदारी की खसरा नम्बरान की भूमि में वादीया का नाम सजन कंवर पत्नि स्व0 सुमेरसिंह दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार से उक्त ख0न0 224 / 1 के राजस्व रिकोर्ड में वादीया का नाम गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह दर्ज हो जाने के कारण उसको उक्त भूमि को उन्नत व विकसित करने के लिए बैंक से ऋण इत्यादि लेने में भारी असुविधा हो रही है जबकि वादीया का उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में सही नाम सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत नि0 डींसा तह0 कि0रेनवाल दर्ज हो चाहिए था। ग्राम डींसा में गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत के नाम से अन्य कोई महिला नहीं है बल्कि वादीया को ही घर व गांव में प्रचलित भाषा गोविन्ददेवी के नाम से पुकारा जाता है। वादीया को पूर्व में अपने उक्त गलत नाम उपरोक्त आराजीयात में दर्ज होने की जानकारी नहीं थी लेकिन वर्तमान में बैंक ऋण हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 19.12.18 को प्राप्त की तो वादीया को अपना रिकोर्डेड नाम सजन कंवर की जगह गोविन्ददेवी होना बताया तब वादीया को [illegible] नाम की दुरुस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ जिस पर [illegible] के यहां दिनांक 26.12.18

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

को जाकर उक्त नाम की दुरूस्ती करवाने को कहा तो उन्होंने न्यायालय से आदेश लाने कहा इसलिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब दावा किया जिसमें अंकित किया कि जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का रलावता के मुताबिक ग्राम डीसा की चालू जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता सं0 119 के अनुसार ख0नं0 224/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा लक्ष्मी पत्नि नारायणसिंह हिस्सा 1/2 रहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 शाखा चौमू गोविन्द देवी पत्नि सुमेरसिंह हिस्सा 1/2 कौम राजपूत सा0देह0 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त खां0नं0 224/1 जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 23.06.1988 को पु. 1 जिल्द सं0 12 पृष्ठ सं0 136 क्र.सं. 500 पर उप पंजीयक कि0रेनवाल के यहां विक्रेता घासीराम पुत्र हनुतांराम हि0 1/2 सैवा गोपाल पि0 मोहना हि0 1/2 जाति जाट नि0 डीसा द्वारा श्रीमती गोविन्द देवी धर्मपत्नि सुमेरसिंह हि0 1/2 व लक्ष्मीदेवी नारायणसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत नि0 डीसा के पक्ष में सम्पादित हुआ। जिसका नामान्तकरण सं0 204 से दिनांक 30.06.88 को नामान्तकरण क्रेताओं के पक्ष में स्वीकृत हुआ है। जांच रिपोर्ट पटवारी के खं0नं0 224/1 का मौका देखा गया मौके पर स्थित खां0नं0 1/2 की सहखातेदार श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत सा0देह0 व विक्रेता सैवा पुत्र मोहना जाति जाट नि0 डीसा उपस्थित मिले के द्वारा व वादीया व अन्य के द्वारा ख0नं0 224/1 में हिस्सा 1/2 पर काबिज खातेदार सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह, गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह को एक ही महिला बताया गया है। इस प्रकार उपस्थित सहखातेदार व विक्रेता के अनुसार गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह व वादीया सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत नि0 डीसा को एक ही बताया गया है। रिपोर्ट पटवारी रलावता के अनुसार समस्त दस्तावेजों में नाम सजन कंवर ही दर्ज है व अन्य खातेदारी भूमि ग्राम डीसा के ख0नं0 90 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा में पति सुमेरसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/2 की विरासत के नामान्तकरण सं0 615 दिनांक 05.07.16 के द्वारा स्वीकृत विरासत से भी वादीया का नाम सजनकंवर पत्नि सुमेरसिंह के नाम से ही स्वीकार हुआ है। तनकीयात कायम की गयी। वकील वादीया ने वादीया सजन कंवर, गवाह लक्ष्मी कंवर के शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध करवाये गये।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी की नकलें, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, सुमेरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत रलावता द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो प्रति आदि पेश किये है।

4. बहस वकील वादीया की बहस सुनी गयी। वकील वादीया ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खाता सं0 119 की आराजी खं0नं0 224/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम डीसा प0ह0 रलावता भू0अ0नि0क्षे0 बधाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चला आ रहा है यानी वादीया उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की भूमि की रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीया के सम्पूर्ण रिकोर्ड यानी की आधारकार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र व वृद्धावस्था पेंशन, परिवार राशनकार्ड, बैंक पासबुक एवं बैंक रिकोर्ड, सरकारी जॉब कार्ड सभी में वादीया का नाम सजन कंवर दर्ज चला आ रहा है वादीया ग्रामीण परिवेश की महिला व अनपढ़ महिला व पर्दासीन महिला होने के कारण उसका गांव में आम प्रचलित भाषा में सजन कंवर को गोविन्ददेवी के नाम से भी पुकारा जाता था जबकि सभी रिकोर्ड में वादीया का नाम गोविन्ददेवी के बजाय सजन [illegible] चला आ रहा है एवं वादीया ने सम्पूर्ण दस्तावेजों में व सभी कार्यों में [illegible] ही दर्ज करवा रखा है जबकि घर पर [illegible] सजन कंवर को गोविन्ददेवी कहते थे इस प्रकार से वादीया सजन कंवर व गोविन्ददेवी एक ही महिला है व वादीया को ही गोविन्ददेवी के नाम से पुकारा [illegible] था। जिसकी वजह से राजस्व

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

रिकोर्ड में वादीया एक ग्रामीण महिला होने के कारण व पर्दानशीन महिला होने के कारण घर पर प्रचलित लाड प्यार का नाम गोविन्ददेवी ही दर्ज हो गया जबकि रिकोर्डेड व वास्तविक नाम वादीया का सजन कंवर है। वादीया के समस्त दस्तावेजों में सजन कंवर नाम दर्ज होने के कारण तथा अन्य खातेदारी की खसरा नम्बरान की भूमि में वादीया का नाम सजन कंवर पत्नि स्व0 सुमेरसिंह दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार से उक्त ख0न0 224/1 के राजस्व रिकोर्ड में वादीया का नाम गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह दर्ज हो जाने के कारण उसको उक्त भूमि को उन्नत व विकसित करने के लिए बैंक से ऋण इत्यादि लेने में भारी असुविधा हो रही है जबकि वादीया का उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में सही नाम सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत नि0 डीसा तह0 कि0रेनवाल दर्ज हो चाहिए था। ग्राम डीसा में गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत के नाम से अन्य कोई महिला नहीं है बल्कि वादीया को ही घर व गांव में प्रचलित भाषा गोविन्ददेवी के नाम से पुकारा जाता है। वादीया को पूर्व में अपने उक्त गलत नाम उपरोक्त आराजीयात में दर्ज होने की जानकारी नहीं थी लेकिन वर्तमान में बैंक ऋण हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 19.12.18 को प्राप्त की तो वादीया को अपना रेकोर्डेड नाम सजन कंवर की जगह गोविन्ददेवी होना बताया तब वादीया को अपने नाम को दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ जिस पर वादीया ने तहसीलदार कि0रेनवाल के यहा दिनांक 26.12.18 को जाकर उक्त नाम की दुरूस्ती करवाने को कहा तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने कहा इसलिए यह वाद पत्र पेश किया जो डिक्री किये जाने योग्य है।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार कि0रेनवाल के जवाब का भी अवलोकन किया गया तथा वादी का वाद मुताबिक तहसीलदार कि0रेनवाल के जवाब पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजीयात खाता सं0 119 की आराजी ख0न0 224/1 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम डीसा प0ह0 रलावता भू0अ0नि0क्षे0 बघाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में वादीया का नाम गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह के स्थान पर **सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह** दुरूस्त कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 कि0रेनवाल को आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 16.04.2021 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

(जयन्त कुमार)RAS
सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— सहायक कलक्टर साम्भरलेक

बइजलास :— जयन्त कुमार आर.ए.एस.

1. श्रीमती सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत नि० डींसा तहसील फुलेरा हाल तहसील कि०रेणवाल जिला जयपुर राज०

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि०रेनवाल जिला जयपुर

प्रतिवादी

वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी
मुकदमा नंबर 7/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गिरधारी लाल बोचल्या व हाजरी ________ मिनजानिब मुदई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि ग्राम बधाल प०ह० बधाल तह० कि०रेनवाल जिला के खाता सं० 119 की आराजी खं०नं० 224/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम डींसा प०ह० रलावता भू०अ०नि०वृ० बधाल तहसील कि०रेनवाल जिला जयपुर राज० में वादीया का नाम गोविन्ददेवी पत्नि सुमेरसिंह के स्थान पर सजन कंवर पत्नि सुमेरसिंह दुरूस्त कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निज ....–.... मुबलिग.....–...... बाबत्....–.... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक....–....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 04 सन् 2021 को जारी की गई।

जयन्त कुमार (RAS)
सहायक कलक्टर
साम्भरलेक

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

मुहर

कलेक्टर
साँभर लेक

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमीश्नर	—	—
फीस कमीश्नर	—	—	बबत इजराय हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभर लेक जिला जयपुर

क्रमांक/राजस्व/ 424 दिनांक 24/6/2021

वास्ते :– तहसीलदार कि0रैनवाल

विषय :– सज्जन कंवर बनाम तहसीलदार

मु0नं0 7/19

उपरोक्त प्रकरण में आपको निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2021 की प्रति भेजकर लेख है कि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2021 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट दिनांक 22/7/2021 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

अतः आज दिनांक 24/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.26 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested